कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 276 /आउशि/नि.का/08 भोपाल, दिनांक 18-9-2008

प्रति,

1. **अतिरिक्त संचालक,**
   समस्त मध्यप्रदेश।
2. **कुल सचिव,**
   समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. **प्राचार्य,**
   स्वशासी महाविद्यालय, समस्त मध्यप्रदेश।

विषयः– सेमेस्टर पद्धती को लागू करने के संबंध में।

–:0:–

कतिपय महाविद्यालयों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि स्वशासी होने के कारण वे अपना पाठ्यक्रम स्वयं निर्धारित करेंगे तथा इसी प्रकार कतिपय विश्वविद्यालयों के अकादमिक कौंसिल के द्वारा यू.जी.सी का माडल पाठ्यक्रम न लागू करते हुए अपना स्वयं का पाठ्यक्रम तैयार किया है।

यहां यह अवगत कराया जाना उचित होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए माडल पाठ्यक्रम बनाये गये हैं, एवं महामहिम कुलाधिपति के आदेश के अनुसार केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों के द्वारा 23 विषयों के सेमेस्टर पद्धती के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं।

स्वशासी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के अकादमिक कौंसिल को महामहिम कुलाधिपति महोदय के द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम को पूर्णतः बदलने के अधिकार नहीं हैं। यह न्यूनतम पाठ्यक्रम समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का आधारभूत पाठ्यक्रम रहेगा। उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालय इस माडल पाठ्यक्रम में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर सकते हैं किन्तु इसके किसी भी भाग में परिवर्तन अथवा छेड़–छाड़ नहीं कर सकते हैं।

यदि किसी विश्वविद्यालय अथवा स्वशासी महाविद्यालय के द्वारा इस पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है तो वे दिनांक 23.09.08 तक पाठ्यक्रम को यू.जी.सी. के माडल पाठ्यक्रम के अनुसार ठीक कर लें अन्यथा भविष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने में दिक्कत होगी तथा इस संबंध में समन्वय समिति की आगामी बैठक में महामहिम कुलाधिपति महोदय को प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होगा।

अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माडल पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किये गये 23 विषयों के पाठ्यक्रम यथावत रखे जावेगें यदि इन पाठ्यक्रमों को लागू करने में कोई परेशानी हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता से दिनांक 19.09.08 तक संपर्क किया जा सकता है, अन्यथा 19.09.08 के पश्चात यह माना जायेगा कि केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के पाठ्यक्रमों को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0 कमांक 277/आउशि/नि.का/08 भोपाल, दिनांक 18-9-2008

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. सचिव, महामहिम कुलाधिपति महोदय, मध्यप्रदेश।
3. निज सचिव, मा0 मंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्ष, मध्यप्रदेश शासन।

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश